न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी (अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट) जैसलमेर
(पीठासीन अधिकारी श्री ओ0पी0 बिश्नोई आर0ए0एस)

मु0 संख्या :– 35 / 2020

प्रार्थी		अप्रार्थी
श्री लक्ष्मीकान्त गुप्ता खादयसुरक्षा अधिकारी, जैसलमेर कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जैसलमेर	बनाम	1. श्री बाबूलाल जैन पुत्र केशरीमल जैन उम्र 61 वर्ष जाति जैन निवासी ग्राम धारवीकला तहसील शिव जिला बाड़मेर (राज.) 2. मैसर्स बाबूलाल कैशरी मल जैन मार्केट फतेहगढ जिला जैसलमेर

(प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26 उपधारा (।।) खादय सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 नियम 2011)

उपस्थित :–

1. खादय सुरक्षा अधिकारी, जैसलमेर।
2. अप्रार्थी संख्या 01 व 02 की ओर से श्री बाबूलाल जैन ।

:: आदेश :: दिनांकः 10.11.2020

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र खाद्य सुरक्षा एवम् मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 उपधारा (।।) के तहत् अप्रार्थीगण के विरुद्व न्याय निर्णयन हेतु प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया व अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। यह है की प्रार्थी द्वारा दिनांक 26.10. 2018 को 01:00 पीएम पर मैसर्स बाबूलाल कैशरी मल जैन मार्केट फतेहगढ जिला जैसलमेर (राज.) का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान अप्रार्थी मैसर्स बाबूलाल कैशरी मल जैन मार्केट फतेहगढ जिला जैसलमेर (राज.) दुकान/संस्थान पर विकेता श्री बाबूलाल जैन पुत्र कैशरीमल जैन कारोबार कर रहा था, उसने दुकान का विकेता होना बताया। उसको अपना परिचय देकर व परिचय पत्र दिखाकर उसका अपना अनुज्ञापत्र दिखाने को कहा तो उसने खादय अनुज्ञापत्र मौके पर होना नही बताया। अप्रार्थी मौके पर निरीक्षण के समय दुकान में हाईड्रोजनैटेड वैजिटेबल ऑयल उत्सव ब्राण्ड के 500–500 एमएल को खाद्य पदार्थ का विकय कर रहा था। प्रार्थी द्वारा विकेता एवं मालिक को मौके पर फार्म संख्या 5ए की प्रति तैयार कर गवाहन व स्वयं के हस्ताक्षर करवाकर फार्म संख्या ए5 की एक प्रति मौके पर मालिक विकेता को दी और प्राप्ति रसीद ली जो प्रार्थना पत्र में संलग्न है। तत्पश्चात हाईड्रोजनैटेड वैजिटेबल ऑयल उत्सव ब्राण्ड की नमूने वास्ते 500–500 एमएल में चार डिब्बे लिये जिसके पेटे 360 रूपये नगद देकर गवाहन, विकेता एवं स्वयं के हस्ताक्षर कर रसीद प्राप्त की जो संलग्न है। प्रार्थी ने खरीद सुदा हाईड्रोजनैटेड वैजिटेबल ऑयल उत्सव ब्राण्ड के 500–500 एमएल के चार डिब्बे नमूने लिये प्रत्येक पर लेबल तैयार कर प्रत्येक नमूना पर चिपकाए एवं लेबलो पर डीओ कोड एवं कमांक नम्बर एन–905 दर्ज किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विकेता एवं गवाहन के हस्ताक्षर करवाये एवं स्वयं ने खाद पदार्थ का विवरण एन–905 हाईड्रोजनैटेड वैजिटेबल ऑयल उत्सव ब्राण्ड के 500–500 एमएल लिख कर हस्ताक्षर किये। चारो नमूनो भागो को अपने जाब्ते में लिया एवं मौके पर मौका फर्द रिपोर्ट तैयार कर विकेता एवं गवाहों को मौके पर पढकर सुनाकर समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा, जो उन्होने पढकर सुनकर समझकर सही मान कर हस्ताक्षर किये प्रार्थी स्वयं ने मौका फर्द पर हस्ताक्षर किये। प्रार्थी ने कार्यालय पहुचकर फार्म नम्बर 6 की आठ प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील इम्प्रेशन लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग मय फार्म नम्बर

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट

Scanned by CamScanner

6 की आउटर कवर में सील बन्द कर सील मुहर कर खाद्य विश्लेषक, जोधपुर को श्री ठाकुरराम, च.श्रै.कर्म के द्वारा दिनांक 29.10.2018 को जमा कराकर रसीद प्राप्त की, जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। दो फार्म संख्या 6 की प्रति अलग से एक लिफाफे में बन्द कर चपड़ी से सील मुहर कर खाद्य विश्लेषक जोधपुर को जमा कराकर फार्म संख्या 6 की पुश्त पर रसीद प्राप्त की जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। शेष दो सील बन्द नमूना भाग मय फार्म नम्बर 6 की दो प्रतियां के आउटर कवर में सील बन्द कर तथा नमूने का चौथा भाग डी.ओ.मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जैसलमेर को मेरे द्वारा दिनांक 28.10.2018 को जमा कराकर रसीद प्राप्त की जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। प्रार्थी को डीओ एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जैसलमेर के पत्र क्रमांक/एफएसएसए/2018/4587-89 दिनांक 28.03.2018 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला राज.जोधपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट संख्या L.S./821/Act/2018/840 दिनांक 28.11.2018 अनुसार उक्त नमूना अवमानक (सबस्टैण्डर्ड) एवं मिथ्याछाप पाया गया। खाद्य विश्लेषक, जोधपुर की जॉच रिपोर्ट न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। प्रार्थी ने पत्रावली,कागजात पेश करने के बाद श्रीमान अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जैसलमेर ने पत्र क्रमांक/एफएसएसए/2018/स्वी./एन-905/3954-56 दिनांक 03.07.2019 के द्वारा आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को उक्त केस में न्यायनिर्णयन आवेदन प्रस्तुत करने हेतु प्राधिकृत किया। यह है कि उक्त केस में विक्रेता 1. श्री बाबूलाल जैन पुत्र केशरीमल जैन उम्र 61 वर्ष जाति जैन निवासी ग्राम धारवीकला तहसील शिव जिला बाड़मेर 2. मैसर्स बाबूलाल कैशरी मल जैन मार्केट फतेहगढ जिला जैसलमेर ने अवमानक (सबस्टैण्डर्ड) एवं मिथ्याछाप हाईड्रोजनैटेड वैजिटेबल ऑयल उत्सव ब्राण्ड खादय पदार्थ का विक्रय करके खादय सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (II) का उल्लघंन किया है। जिसका जुर्माना खादय सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 व 52 में निर्धारित है। प्रार्थी ने निवेदन किया कि अप्रार्थी को अधिक से अधिक जुर्माना से दण्डित करने की कृपा करें जिससे दिन प्रतिदिन दैनिक जीवन में हो रही मिलावट पर अंकुश लग सकें।

अप्रार्थी संख्या 01 व 02 की ओर से दिनांक 11.02.2020 को न्यायालय में स्वयं उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र के कम में जबाब पेश कर निवेदन किया है कि मैसर्स बाबूलाल कैशरी मल जैन मार्केट फतेहगढ जिला जैसलमेर जो की मेरी दूकान है। मेरी दूकान में खादय निरीक्षक जैसलमेर द्वारा सेम्पल भरा गया था, उसका बिल पक्का मेरे द्वारा पेश किया गया था। बिल नम्बर 2471 दिनांक 26.10.2018 राशि 8,680/- रूपये मैसर्स बाबूलाल राणामल बाडमेर द्वारा जारी पेश किया था। उक्त फर्म से क्रय किया माल जिस अवस्था में लिया उसी अवस्था में विकय किया गया है। उपरोक्त तथ्यो के बावजूद इस प्रकरण में मुझे अकेला दोषी ठहराया गया है। जबकि उक्त उत्पादन से संबधित जिम्मेदारी निर्माता फर्म की है उक्त निर्माता कम्पनी को इस प्रकरण में प्रतिवादी नही बनाया गया है। अतः उक्त प्रकरण में निर्माता फर्म को प्रतिवादी बनाने का निवेदन किया गया है।

उभय पक्षो की बहस सुनी गई। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत जबाब एवं बहस के तथ्यों का अवलोकन व अनुशीलन किया गया, व दोनो पक्षो की बहस सुनने के पश्चात इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि खादय सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला, जोधपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं. L.S./821/Act/2018/840 दिनांक 28.11.2018 के अनुसार हाईड्रोजनैटेड वैजिटेबल ऑयल उत्सव

न्यायनिर्णायक अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट जैसलमेर

Scanned by CamScanner

ब्राण्ड खादय पदार्थ का उक्त नमूना अवमानक (सबस्टैण्डर्ड) व मिथ्याछाप पाया गया हैं। अप्रार्थीगण द्वारा अपने जवाब के समर्थन मे कोई साक्ष्य प्रस्तुत नही कर पा रहा है। जिससे अप्रार्थीगण पर अवमानक (सबस्टैण्डर्ड) एवं मिथ्याछाप स्तर के हाईड्रोजनैटेड वैजिटेबल ऑयल उत्सव ब्राण्ड खादय पदार्थ का विकय करने के लिए दोष साबित है। अप्रार्थीगण द्वारा खाद्यय सुरक्षा एवम् मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उपधारा 2 का उल्लंघन किया है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवम् मानक अधिनियम 2006 की धारा 51 व 52 में निर्धारित है । अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है, एवं अप्रार्थी श्री बाबूलाल जैन जो मैसर्स बाबूलाल कैशरी मल जैन मार्केट फतेहगढ जिला जैसलमेर के प्रोपराईटर पर अवमानक (सबस्टैण्डर्ड) एवं मिथ्याछाप स्तर की खाद्य वस्तु हाईड्रोजनैटेड वैजिटेबल ऑयल उत्सव ब्राण्ड खादय पदार्थ विकय के कारण इसी अधिनियम की धारा 51 व 52 के तहत अप्रार्थी संख्या 01 पर 25,000/- अक्षरे पचीस हजार रूपये मात्र की शास्ति आरोपित की जाती है, साथ ही मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जैसलमेर को निर्देश दिये जाते है कि वे उक्त राशि अप्रार्थीगण से वसूल कर राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मद "0210-चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य, 04-लोक स्वास्थ्य, 800 अन्य प्राप्तियां, (03) खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत अनुज्ञापत्र शुल्क आदि" में जमा करवा कर चालान की प्रति इस न्यायालय में प्रस्तुत करें। इस निर्णय की प्रतिलिपि अप्रार्थी संख्या 01 व 03 एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जैसलमेर को वास्ते पालनार्थ भिजवाई जावे। बाद पालना पत्रावली फैसल में शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(ओ0पी0बिश्नोई)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,जैसलमेर

निर्णय आज दिनांक 10.11.2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(ओ0पी0बिश्नोई)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,जैसलमेर

Scanned by CamScanner